माननीय न्यायालय म.प्र. राजस्व मंडल केंद्र ग्वालियर

प्रकरण क्रं. /2017 निगरानी PBR/निगरानी/रतलाम/स्टॉपअधि/2017/3653

शेखर पिता स्व. श्री भंवरलाल, निवासी-
19, गफूर मार्ग घास बाजार, रतलाम
.....आवेदक

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर महोदय,
जिला रतलाम, म.प्र.

2. आयुक्त नगर पालिक निगम, रतलाम,
म.प्र. के वैध प्रतिनिधि सलीम खान पिता
छन्नू खान .....अनावेदकगण

पुर्नरीक्षण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-48 (ख) भारतीय स्टाम्प अधिनियम

माननीय महोदय,

आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला रतलाम के प्रकरण क्रं. 45/बी-103/धारा-48/13-14 में पारित आदेश दिनांक 24/01/17 के विरूद्ध माननीय न्यायालय में एक निगरानी प्रस्तुत की है:-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/रतलाम/स्टाम्प अधि./2017/3653

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-6-2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर आफ स्टाम्प, जिला रतलाम के आदेश दिनांक 24-1-2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 21-9-2017 को लगभग 5 माह से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । आवेदक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में आलोच्य आदेश की प्रमाणित दिनांक 16-8-2017 को प्राप्त होना दर्शाया गया है, अत: आवेदक को अविलम्ब निगरानी प्रस्तुत करना चाहिए था, क्योंकि निगरानी प्रस्तुत करने में पूर्व में ही काफी विलम्ब हो चुका था। अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब का कारण आदेश की जानकारी नहीं होना एवं अस्वस्थ होना बताया गया है, जबकि अस्वस्थ होने के सम्बन्ध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है । आवेदक द्वारा प्रत्येक दिवस के विलम्ब का कारण भी नहीं दर्शाया गया है, अत: विलम्ब का कारण समाधानकारक नहीं है । 1992 आर.एन. 289 लंगरी (श्रीमती) तथा अन्य विरूद्ध छोटा तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:- "धारा 5-व्याप्ति-अधिकारिता की प्रकृति-वैवेकिक है-पक्षकार विलम्ब माफी के लिए अधिकार के रूप में हकदार नहीं है-पर्याप्त कारण का सबूत-अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए पुरोभाव्य शर्त है-न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कालावधि नहीं बढ़ा सकता ।" माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में यह निगरानी प्रथम दृष्टया समय बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	